



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अप्रैल, 2016

वैशाख 5, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 692/79-वि-1-16-1(क)-2-2015

लखनऊ, 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 संक्षिप्त नाम और  
कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह 4 फरवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम  
संख्या 8 सन् 1971  
की धारा 2 का  
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।”

निरसन और  
अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 2  
सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) का अधिनियमन, राज्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत गुण्डा नियंत्रण और दमन हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिये किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 2390/2012 मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये हैं :-

1-जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

2-जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

3-गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

4-वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।



माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गुण्डा" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
अब्दुल शाहिद,  
प्रमुख सचिव।

No. 692 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka)-2-2015

Dated Lucknow, April 25, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 7, 2016.

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 13 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 2015.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on February 4, 2015.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) after sub-clause (vii) the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971

"(viii) is involved in offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(ix) is involved in offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

(x) is involved in illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xi) is involved in human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities."



Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

U.P.  
Ordinance  
no. 2 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) has been enacted to provide for making special provisions for the control and suppression of Goondas with a view to ensuring the maintenance of public order in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali, Son of Shaukat Ali *Versus* Uttar Pradesh State in their order dated January 8, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act:-

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;
2. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;
3. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;
4. human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to amend the said Act to include the said offences in the definition of the word "Goondas".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 2 of 2015) was promulgated by the Governor on February 4, 2015.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ABDUL SHAHID,

*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 53 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(107)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० विधायी-26-04-2016-(108)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।